	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

29/11/24

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी सं. 1 ता 5 को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वह खसरा नम्बर 366, 367, 368 कुल किता–3 कुल रकबा 13 बीघा वाके ग्राम अलीपुरा तहसील व जिला टोंक में अपने हक व हिस्से को किसी अन्य को अंतरित नहीं करे तथा विपक्षी सं. 6 व 7 को भी पाबन्द करें कि वह प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में हस्तक्षेत्र व मजाहमत नहीं करे उसे बैदखल नहीं करें तथा ना ही करावें। अतिक्रमण नहीं करें ओर ना ही करावें।

जवाब में प्रतिवादी नं. 7 ने निवेदन किया कि प्रार्थी ने वास्तविक तथ्यों को छुपाकर, गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है । प्रार्थी मृतक व्यक्ति के विरूद्ध प्रा.पत्र पैश किया है जानबूझकर उसके वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजो का अध्ययन किया। मुताबिक राजस्व रिकार्ड वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी भूमि है जिसका विधिव रूप से तकासमा नहीं हुआ है। जिसके तकासमा के लिए प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ दावा पेश किया है। जो विचाराधीन न्यायालय हे। यदि स्थगन आदेश जारी नहीं किया तो किसी पक्षकार द्वारा अपना हिस्सा विक्रय करने से अनावश्यक विवाद बढेगा। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण के हक व हिस्से तक स्वीकार करना उचित समझता है।

प्रतिपक्षीगण संख्या–1 ता 5 व 7 को मूल वाद के निर्णय तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 366, 367, 368 कुल किता–3 कुल रकबा 13 बीघा वाके ग्राम अलीपुरा तहसील व जिला टोंक में से प्रार्थीगण के हक व हिस्से की भूमि में किसी भी प्रकार से मजाहमत मदाखलत नहीं करें ओर ना ही करावें। राजस्व रिकार्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाए रखें। मूल वाद के निर्णय तक पाबन्द रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एंव मूल वाद में शामिल की जावे।

(रतनलाल, योगी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,टोंक

Scanned by CamScanner